सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय,

गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

वादीनी :-

चूनीदेवी जोजे किस्तुराराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट

निवासी सांजटा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।

**बनाम**

प्रतिवादीगण :-

1. राजूराम वल्द प्रेमाराम उर्फ पेमाराम कौम सुथार
2. फगलूराम पुत्र पेमाराम कौम सुथार सा० झोटड़ा तहसील साचौंर जिला जालोर
3. ललित पुत्र उकचन्द
4. विनोद पुत्र उकचन्द फौत के कायमुकाम प्रतिवादी संख्या 8
5. बाबूलाल पुत्र उकचन्द
6. गिरीश पुत्र उकचन्द
7. तिलोकचन्द पुत्र उकचन्द
8. सुभद्रा पत्नी उकचन्द कौम जैन साकिन गुड़ामालानी
9. सरीफाबानो पत्नी कासमखॉ कौम कुम्हार सा० गुड़ामालानी
10. गुमानगर पुत्र चेतनगर कौम स्वामी साकिन ढीमड़ी
11. जीयाराम पुत्र पाबूराम कौम विश्नोई साकिन भाटोलाई तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
12. भगागर पुत्र चेतनगर कौम स्वामी साकिन ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
13. शाखा प्रबन्धक एस० बी० आई० शाखा गुड़ामालानी।
14. शाखा प्रबन्धक एस० बी० बी० जे० हाल एस० बी० आई० शाखा गुड़ामालानी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:10 IST
Reason: SelfAttested

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदय,

वादीनी का वाद पत्र निम्नानुसार है :–

1. कि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल बांटा सरहद मौजा ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 19/2 रकबा 44–12 बीघा किस्म बारानी दोयम का संयुक्त खातेदारी का खेत वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का आया हुआ है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस साथ प्रस्तुत है।
2. कि वादग्रस्त आराजी वादीनी की क्रयसुदा है। इस प्रकार वादीनी का वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्सा खातेदारी व कब्जा–काश्त का आया हुआ है। जिसको वादीनी विभाजित करवाने की अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत है।
3. कि भूमि संयुक्त खातेदारी में होने एवम् प्रत्येक खातेदारान् के हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं होने से पक्षकारान् के मध्य विवाद रहता है, एवम् वादीनी को अपने–अपने हिस्से की भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में भी अड़चने आती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 सह–खातेदार भूमि संयुक्त खातेदारी में होने का लाभ उठाकर वादीन द्वारा समतल, उपजाऊ बनाई गई भूमि पर काबिज होने पर उतारू रहते है अतः वादीनी अपने हिस्से की भूमि को विभाजित करवाना चाहती है।
4. कि चुंकि प्रतिवादी सं[illegible]के अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होन[illegible] हिस्से की भूमि में उनके कब्जा–काश्त में दखलन्दाजी करते [illegible]ते है जिससे वादीनी हमेशा तनाव में रहती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 12 वादीनी द्वारा समतल व उपजाऊ बनाई गई भूमि का बेचान कर किसी अजनबी को उक्त भू–भाग पर काबिज करवाने पर उतारू है। यदि वह अपने इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:10 IST
Reason: SelfAttested

मकसद में कामयाब हो गये तो वादीनी को अपूरणीय क्षति होगी अतः वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के विरूद्व विधि समत तरीके से भूमि का विभाजन नहीं होने तक अपने कब्जा–काश्त में दखलन्दाजी न स्वयं करने न किसी अन्य से करवाने तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहती है।

5. कि बिनायदावा जब वादग्रस्त आराजी वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी में अंकित हुई। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने विभाजन किये जाने में टालमटोल करते हुए अपने हिस्से से ज्यादा रकबे पर 5 रोज पूर्व कब्जा करने का प्रयास किया, तब–तब बमुकाम–ग्राम ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी में पैदा हुआ।

6. कि वादीनी का दावा हैं कि इस वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल बांटा सरहद मौजा ढीमड़ी के खेत खसरा नम्बर 19/2 रकबा 44–12 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीनी का 1/12 हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुगम व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुऐ हिस्सानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित कर पृथक खाता कायम किया जावे, तब तक प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि वादग्रस्त आराजी में किसी अजनबी खातेदार को बेचान नहीं करे तथा न ही मौके व राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जावें।

7. कि वादग्रस्त आराजी के विभाजित करने की सहायता मांगी जाने के कारण भूमिपति तहसील[illegible] में रहन होने से शाखा प्रबन्धक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:10 IST
Reason: SelfAttested

8. कि वादग्रस्त आराजी मौजा ढीमड़ी में स्थित होने से यह दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

9. कि वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से निर्धारित न्यायशुल्क के रूप में 3/– रूपये के मुद्रांक साथ पेश है।

10.अतः दावा पेश कर निवेदन हैं कि वादीनी का दावा स्वीकार कर डिक्री बहक वादीनी निम्न प्रकार सादिर फरमाई जावे :–

1. कि पटवार मण्डल बांटा सरहद मौजा ढीमड़ी के खेत खसरा नम्बर 19/2 रकबा 44–12 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीनी का 1/12 हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुगम व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुऐ हिस्सानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित कर पृथक खाता कायम किया जावें।
2. कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादीनी के कब्जा–काश्त में दखलन्दाजी न स्वयं न अन्य किसी से करवाये।
3. कि अन्य कोई सहायता जो बहक वादीनी साबित हो वह दिलाई जावे।

सत्यापन :– मैं चूनीदेवी पत्नी किस्तुराराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी सांजटा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर वाला सत्यापित करती हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र के पद संख्या 1 से 10 तक मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं, इसमें कोई तथ्य गलत दर्ज नहीं करवाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया हैं। अतः ईश्वर मेरी मदद करे।

इति दिनांक :– 29.10.2020

..................

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

२४/01/२1 पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त राजस्व प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:10 IST
Reason: SelfAttested